




66

291

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय म०प्र०राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प
रीवा म०प्र० II/निग०/रीवा/२०/१/०६२७



1. शोभनाथ तनय रामाधीन नाई
2. श्रीमती चिहडी पति शोभनाथ नाई

दोनों निवासी ग्राम घोपी, तहसील मनगंवा, जिला रीवा म०प्र०

.....आवेदकगण/निगरानीकर्तागण

बनाम

कैलाश सेन तनय राम कुमार सेन निवासी ग्राम घोपी, तहसील
मनगंवा जिला रीवा म०प्र०अनावेदक/ गैर निगरानीकर्ता

निगरानी बिरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मंडल
सूरा एवं हल्का पटवारी घोपी क्रमांक 15 के
आदेश दिनांक 3.1.2018 एवं 4.1.2018 के
बिरुद्ध अन्तर्गत धारा 50म०प्र०भू०स०सं०

महोदय,

निगरानी के आधार निम्न है :-

1. यह कि , राजस्व कर्मचारी राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी का आदेश बिधि एवं प्रक्रिया के बिपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि , स्पष्ट किया जाता है कि आराजी नम्बर 1218/2 एवं 1219/2 रकबा 0.020 व 0.040हे० मौजा घोपी, प०ह०घोपी,स०नि०मं०सूरा तहसील मनगंवा जिला रीवा मे स्थित भूमि है जिसके भूमिस्वामी व अधिपत्यधारी आवेदकगण है। एवं आराजी नम्बर 1218/1 एवं 1219/1 के भूमिस्वामी अनावेदक है। उक्त मूल भूमियां 1218 एवं 1219 के बराबर-बराबर हिस्से मे आवेदक व अनावेदकगणो का कब्जा दखल हिस्से वाट के अनुसार चला आ रहा है तथा उक्त भूमियां सड़क से लगी हुयी भूमियां है जिस भूमि मे उत्तरी दिशा की ओर आवेदकगण एवं दक्षिणी दिशा की ओर अनावेदक

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

श्रीमानक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

26

प्रकरण क्रमांक II/निग0/2018/0629

जिला-रीवा

शोभनाथ नाई/ कैलाश नाई

(1)	(2)	(3)
05/8/19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री तरुणेन्द्र सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल सूरा एवं हल्का पटवारी घोषी क्रमांक 15 में पारित आदेश दिनांक 03.01.2018 एव 04.01.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p>(महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य</p>	